मा0 श्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री बिहार

डॉ. अब्दुल गफूर
मंत्री, अ0क0वि0, बिहार

मार्गनिर्देशिका

बिहार सरकार

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना

बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34-हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) हज भवन, पटना-1

बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम से संचालित होने वाली राज्य सम्पोषित "मुख्य मंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना"

1) **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना**

राज्य सम्पोषित **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण रोजगार ऋण योजना** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक वर्ग के पाँच समुदायों (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी) के व्यक्तियों को लाभांवित करने हेतु संचालित की जायेगी। इस योजना में अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवकों एवं युवतियों को विभिन्न योजनाओं/व्यवसायों में अधिकतम 5 लाख रूपये तक ऋण राशि मुहैया करायी जायेगी।

2) **योजना के कार्यान्वयन की रूप रेखा**

i) योजना के कार्यावयन हेतु राज्य सरकार द्वारा योजना मद में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रूपये की दर से कुल 125 करोड़ रूपयें की राशि हिस्सा पूँजी के रूप में बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को उपलब्ध कराया जायेगा जो वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि में प्राप्त होगी।

ii) **राज्य सरकार द्वारा निगम को उपलब्ध करायी गयी राशि में प्रत्येक वर्ष मुख्य मंत्री** अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना अन्तर्गत ऋण वितरित किया जायेगा। इस योजना में वितरित ऋण राशि की वसूली रकम (मूल धन) का उपयोग पुनः इस योजना में ऋण वितरण करने हेतु Revolving fund के रूप में किया जायेगा।

iii) इस योजना में उपलब्ध निधि के विरूद्ध अर्जित ब्याज, लाभुकों से प्राप्त ब्याज की राशि तथा प्रोसेसिंग चार्ज के मद में प्राप्त राशि का उपयोग प्रशासनिक व्यय, डिलेभरी कॉस्ट एवं अन्यान्य व्यय के मद में किया जायेगा।

iv) इस योजना के निमित अलग से बैंक खाता का संचालन एंव संधारण किया जायेगा।

v) संशोधित प्रावधान के अनुसार लाभान्वितों के चयन हेतु जिला स्तर पर एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-

(क) उप विकास आयुक्त या उनके द्वारा मनोनीत निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण - अध्यक्ष

(ख) संबंधित जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी या उक्त रिक्त होने के स्थिति में जिला कल्याण पदाधिकारी -सदस्य

(ग) संबंधित जिला के जिला उद्योग केन्द्र के पदाधिकारी- सदस्य

(घ) अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा मनोनीत पदाधिकारी - सदस्य सचिव

(ड़) जिला स्तरीय चयन समिति में संबंधित जिला के अल्पसंख्यक समुदाय के 2 सामाजिक कार्यकर्त्ता (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मनोनीत - गैर सरकारी सदस्य

बैठक में कोरम के लिए अध्यक्ष के अतिरिक्त कम से कम 2 (दो) सदस्यों का होना अनिवार्य है। अध्यक्ष की अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थिति होने पर उपस्थित सदस्यों में से वरीयतम के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी।

इस चयन समिति द्वारा लाभांवित होने वाले ऋणावेदकों को उनसे प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर चयन किया जायेगा, जिन्हें ऋण की स्वीकृति देकर बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना के प्रबन्ध निदेशक के द्वारा राशि विमुक्त की जायेगी।

3) <u>चयन की प्रक्रिया :-</u>

i) बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में इस योजना के लिए ऋण आवेदन पत्र निगम के प्रमण्डलीय कार्यालय में

जमा हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा।

ii) जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयनित आवेदकों को ऋण की स्वीकृति देने के पूर्व उनका स्थल निरीक्षण एवं उनके द्वारा समर्पित कागजात का सत्यापन तथा अनुशंसा के साथ प्रमंडलीय प्रभारी द्वारा स्थल जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

iii) निगम के प्रमण्डलीय कार्यालय द्वारा चयनित ऋणावेदकों से कागजीकरण यथा शपथ पत्र, अनुबन्ध पत्र, गारन्टी बॉण्ड, हाइपोथिकेशन प्रपत्र निष्पादित कराया जायेगा, जिसपर निगम की ओर से प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

4) <u>योजना के लाभांवितों हेतु पात्रता मापदण्ड</u> :-

i) आवेदन की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

ii) आवेदक बिहार के उसी जिला का निवासी हो, जहाँ योजना ली जानी है।

iii) ऋण की राशि से लाभुक आय प्रदान करने वाली परिसम्पत्तियाँ सृजित करेंगे।

iv) आवेदक सरकारी/अर्द्ध सरकारी सेवा में न हो।

v) आवेदक अल्पसंख्यक यथा मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध अथवा पारसी समुदाय का हो। मुस्लिम को छोड़ कर अन्य अल्पसंख्यकों हेतु उनके धर्म सम्बन्धी प्रमाण पत्र सम्बन्धित धर्मावलम्बी संस्थानों (Monasteries) द्वारा निर्गत हो।

vi) आवेदकों के पारिवारिक वार्षिक आय 1.00 लाख रूपये से अधिक न हो।

vii) ऋणावेदक के पारिवारिक वार्षिक आय एवं आवास से सम्बंधित प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार यथा अनुमण्डलाधिकारी या प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो,

आवेदन पत्र के साथ समर्पित करना होगा।

5) **ब्याज दर**

i) इस योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा 5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर लाभार्थियों को ऋण राशि मुहैया करायी जायेगी तथा योजना लगाने हेतु तीन माह की स्थगन अवधि (Moratorium) मानी जायेगी और इस (Moratorium Period) को ब्याज मुक्त रखा जायेगा।

ii) इस योजना के निमित चयनित आवेदन पत्रों पर स्वीकृति प्रदान करने के समय निगम द्वारा प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में 0.5% शुल्क लिया जायेगा।

iii) लाभुकों द्वारा निर्धारित समय में किस्तों का भुगतान कर पूर्ण राशि वापस किया जाता है तो उन्हें देय ब्याज में 0.5% की छूट दी जाएगी।

6) **दण्ड ब्याज :-**

i) लाभुकों द्वारा प्रत्येक वर्ष की देय किस्तों की राशि के अनुसार भुगतान नहीं किये जाने पर वर्ष की समाप्ति के पश्चात अतिदेय राशि पर चक्रवृधि ब्याज की गणना कर उनसे निगम द्वारा वसूली की जाएगी।

7) **ऋण की वापसी :-**

i) लाभर्थियों से 20 समान त्रैमासिक किस्तों में मूल धन व ब्याज निगम द्वारा वसूल किया जायेगा।

8) **गारन्टर/एकरारनामा :-**

i) ऋणग्रहिता से 100/- रूपये के नन जुडिसियल/एडहेसिभ स्टाम्प

पर एकरारनामा (प्रपत्र में) निष्पादित कराया जायेगा।

ii) निम्नांकित गारन्टर से 100/- रूपये के नन जुडिसियल/एडहेसिभ स्टाम्प पर गारन्टी बॉण्ड (प्रपत्र में) निष्पादित कराया जायेगा।

(क) **1 लाख रूपये तक की ऋण राशि :-** ऋणधारक द्वारा स्वयं की गारंटी किसी ऐसे व्यक्ति की गारन्टी जिनके नाम या उनके माता/पिता के नाम रेन्ट रसीद/लगान/अन्य सम्बन्धित दस्तावेज हो, से गारन्टी बाण्ड निष्पादित कराते समय उसकी छायाप्रति समर्पित करेंगे।

(ख) **1,00,001 रूपये से 5 लाख रूपये की ऋण राशि तक :-** एक सरकारी/अर्द्ध सरकारी/बैंक कर्मी/स्वायत निकाय के कर्मी (जिनकी सेवा कम से कम 5 वर्ष शेष हो)/ आयकर दाता की व्यक्तिगत गारन्टी/ऋण राशि के समतुल्य अचल सम्पति का बन्धेज (Equitable Mortagage) के साथ गारंटी बाण्ड निष्पादित करना होगा।

iii) ऋण वापसी हेतु लाभार्थी से किसी बैंक (सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) का कम से कम 10 अधिकतम 20 उत्तरदिनांकित चेक लिया जायेगा। साथ ही लाभार्थी से विहित प्रपत्र में शपथ पत्र एवं 20 रूपये का एडहेसिभ स्टाम्प पर हाईपोथिकेशन निष्पादित कराया जायेगा।

9) **ऋण की स्वीकृति :-**

i) निगम मुख्यालय द्वारा ऋण स्वीकृति आदेश निर्गत कर प्रमण्डलीय कार्यालय के माध्यम से चेक द्वारा ऋण राशि का भुगतान किया जायेगा। यदि स्वीकृत राशि के विरूद्ध मशीन/उपकरण/ उपस्कर/सामग्री के एक युनिट का क्रय मूल्य 1 लाख रूपये या

उससे अधिक हो, तो लाभार्थियों द्वारा अधिकृत विक्रेता से प्राप्त कोटेशन/प्रोफोर्मा बिल समर्पित किया जायेगा, जिसकी आपूर्ति हेतु सीधे विक्रेता के नाम रेखांकित चेक के माध्यम से निगम द्वारा भुगतान किया जायेगा।

ii) यदि मशीन/उपकरण/उपस्कर सामग्री इत्यादि के एक युनिट का क्रय मूल्य 1 लाख रूपये से कम हो तो निगम द्वारा स्वीकृत राशि रेखांकित चेक के माध्यम से सीधे लाभार्थी को भुगतान किया जायेगा।

آفس کے توسط سے بذریعہ چک قرض کی رقم فراہم کرائی جائے گی۔
اگر منظور شدہ رقم سے مشین/آلہ جات/اوزار/اشیاء کے ایک یونٹ کا خرید دام ایک لاکھ روپے یا اس سے زیادہ ہو تو مستفیضین کے ذریعہ رجسٹرڈ دکاندار سے حاصل کوٹیشن / پرفامابل جمع کیا جائے گا جس کی فراہمی کے لئے براہ راست دوکاندار کے نام علامت شدہ چک (a/c payee cheque) کے توسط سے ادائیگی کی جائے گی۔

ii. اگر مشین/آلہ جات/اوزار/اشیاء وغیرہ کی قیمت ایک لاکھ روپیہ سے کم ہے تو کارپوریشن سے منظور قرض کی رقم علامت شدہ چک (a/c payee cheque) کے ذریعہ براہ راست قرض یافتگان کو دی جائے گی۔

vi. درخواست دہندہ کے خاندان کی آمدنی 1.00 لاکھ روپیہ سے زیادہ نہ ہو۔

vii. درخواست دہندہ کی خاندانی آمدنی اور رہائش سے متعلق سرٹیفکیٹ اہل افسر یعنی سب ڈویزنل افسر، یا بی ڈی او یا سی او کے ذریعہ جاری کردہ درخواست کے ساتھ جمع کرنا ہوگا۔

5. سود کی شرح:

i. اس منصوبہ کے تحت کارپوریشن کی جانب سے 5% عام سالانہ شرح سود پر درخواست دہندگان کو قرض کی رقم مہیا کرائی جائے گی اور کام شروع کرنے کے لئے تین مہینے کی Moratorium period دی جائے گی اور اس Moratorium period کو سود سے مستثنیٰ رکھا جائے گا۔

ii. اس منصوبہ کے تحت قرض کے لئے منتخب درخواستوں پر فنڈ فراہم کرنے کے وقت کارپوریشن کی جانب سے قرض یافتگان سے 0.5% پروسسنگ چارج لیا جائے گا۔

iii. مستفیضین کی جانب سے مقررہ مدت کے دوران قسطوں کی ادائیگی کے ذریعہ پوری رقم واپس کی جاتی ہے تو انہیں قابل ادا سود میں 0.5% کی رعایت دی جائے گی۔

6. جرمانہ سود

i. مستفیضین کی جانب سے ہر سال قابل ادا رقم کی ادائیگی نہ کئے جانے پر سال ختم ہونے پر کمپاؤنڈ انٹرسٹ لگا کر کارپوریشنکارپوریشن کے ذریعہ وصولی کی جائے گی۔

7. قرض کی واپسی:

قرض یافتگان سے 20 یکساں سہ ماہی قسطوں میں خالص قرض اور سود

کارپوریشن وصول کرے گا۔

8. گارنٹر/اقرار نامہ:

i. قرض یافتہ سے =/100 روپے کے نن جیوڈیشیل /ایڈہیسوا اسٹیمپ پر اقرارنامہ (پرفارما میں) داخل کیا جائے گا۔

ii. درج ذیل گارنٹر سے =/100 روپیہ کے نن جیوڈیشیل ایڈہیسوا سٹیمپ پر گارنٹی بانڈ (پرفارما میں) جمع کیا جائے گا۔

(الف) ایک لاکھ روپیہ تک کے قرض کی رقم: قرض یافتہ کی جانب سے اپنی گارنٹی یا کسی ایسے شخص کی گارنٹی جن کے نام یا ان کے ماں /باپ کے نام کرایہ رسید /لگان /دیگر دستاویز ہو۔ گارنٹی بانڈ بھروانے کے وقت اس کی فوٹو کاپی جمع کرنی پڑے گی۔

(ب) 100001 سے 5 لاکھ روپیہ تک کے قرض کی رقم: ایک سرکاری /نیم سرکاری /بنک ملازم /آٹونومس باڈی کے ملازم (جن کی مدت ملازمت کم سے کم 5 سال باقی بچی ہو) /انکم ٹیکس دہندہ کی ذاتی گارنٹی /قرض کی رقم کے برابر املاک کا مورگیج (Equitable mortgage) کے ساتھ گارنٹی بانڈ بھرا جائے گا۔

iii. قرض کی واپسی کے لئے قرض یافتہ سے کسی بینک (کوآپریٹو یا علاقائی بینک کو چھوڑ کر) کا کم سے کم دس یا زیادہ سے زیادہ 20 بعد کی تاریخوں کا چک لیا جائے گا۔ ساتھ ہی قرض یافتہ سے مقررہ پرفارما میں حلف نامہ اور 20 روپیہ کے ایڈہیسوا سٹمپٹ پر ہائی پوتھیکیشن لیا جائے گا۔

9. قرض کی منظوری

1. کارپوریشن صدر دفتر کی جانب سے قرض منظوری حکم نامہ جاری ہوکر ڈویزنل